कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1195/सम्भल/23576/2017, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 27, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : सम्भल में मेरठ–बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) किमी0 142.600 से 162.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 23.28 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2230 वृक्षों एवं 44 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/52/2017/एफ0सी0/74, दिनांक 14.08.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–159/14–2–2017–800(49)/2017, दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव की प्रतियाँ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। उक्त के कम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1274/14–1, दिनांक 17.10.17 द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 17.10.17 एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

26/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।